17

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का मसारी बनाम जगमाल पुत्र दुल्हन फकीर सा० चौली

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91 एलआर एक्ट

निर्णय दिनांक :- 3-8-18

प्रकरण संख्या :- 48

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि ग्राम मसारी की आ.ख.न. 701 कुल रकबा 1-06 किस्म जमीन गै.मु. पोखर में से 0-01 बिस्वा रकबे पर श्री जगमाल पुत्र दुल्हन फकीर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर बिस्वा कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मसारी द्वारा दिनांक 5-7-18 रखकर को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईब भू.अ.निरी. डारोदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी जगमाल पुत्र दुल्हन जाति फकीर निवासी चौली को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी जगमाल पुत्र दुल्हन फकीर उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 701 रकबा 1-06 में से 0-01 पर बिस्वा रकबे किस्म गै.मु. पोखर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबा से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 0-06 पैसा 50 गुणा 3-00 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी मसारी भू.अ.निरी. डारोदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज०

रा. लि. सं. 4 क ...41... पंक्ति ...1...
वर्ष 2018-19 ...3/-...
प्रतिलिपि ...